



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./04/37/2018/एफ.सी./20

दिनांक: 04-5-18

सेवा में,
नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/TRANS/26448/2017

विषय : 765 हे० डबल सर्किट उरई-अलीगढ़ पारोषण लाईन निर्माण हेतु एटा में 1.23 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, फिरोजाबाद में 0.8072 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, मैनपुरी में 0.7884 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग कुल 2.8256 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:-मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-2801/उरई-अलीगढ़ लाइन(2.8256 हे०)/26448/2017, दिनांक- 02.04.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके।

1. प्रस्ताव के औचित्य के संबंध में कोई उल्लेख नहीं प्रस्तुत किया गया है।
2. प्राधिकार पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन प्रतिवेदित है। अतः दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं एजेंसी को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कृत कार्यवाई एवं जुर्माना आदि का विवरण उपलब्ध कराया जाए।
4. प्रभागीय निदेशक, एटा द्वारा स्थलीय निरीक्षण टिप्पणी में प्रस्तावित वन भूमि को न्यूनतम नहीं होने का उल्लेख किया गया है, जिसे स्पष्ट करना वांछित है।
5. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि एवं क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का सर्वे ऑफ इण्डिया का टोपोग्राफिक मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, उ० प्र०।
3. मुख्य प्रबन्धक, पावर ग्रिड कार्पो० ऑफ इण्डिया लि०, मैनपुरी, उ० प्र०।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

प्राथमिकता

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 3089/उरई-अलीगढ़ लाइन(2.8256 हे०)/26448/2017, दिनांक, लखनऊ, मई 07, 2018

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ एवं आगरा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को तीन मूल प्रति में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, एटा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार स्पष्ट सूचना एवं अभिलेख निर्धारित प्रारूप में अपने वन संरक्षक को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि मुख्य प्रबन्धक, पावरग्रिड कार्पो० ऑफ इण्डिया लि०, मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ० प्र०, लखनऊ।